रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941
No. 628] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 803(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 134 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम 2014, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम 01 दिसंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, नियम 8 में, उपनियम (5) में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiiक) वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (प्रवीणता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय से संबंधित विवरण"।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रवीणता" पद से धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षण से यथा अभिनिश्चित स्वतंत्र निदेशक की प्रवीणता अभिप्रेत है।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल.V-भाग]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 239(अ) तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 725(अ), तारीख 31 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2019

G.S.R. 803(E).—In exercise of the powers conferred by section 134 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of December, 2019.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 8, in sub-rule (5), after clause (iii), the following clause shall be inserted namely:—

"(iiia) a statement regarding opinion of the Board with regard to integrity, expertise and experience (including the proficiency) of the independent directors appointed during the year".

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression "proficiency" means the proficiency of the independent director as ascertained from the online proficiency self-assessment test conducted by the institute notified under sub-section (1) of section 150.

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 239(E), dated 31.03.2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 725(E) dated the 31st July, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.23 21:07:23 +05'30'